

चयन समिति, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर छ0ग0

दिनांक – 15/10/2026

:: सूचना ::

विज्ञापन क्रमांक 4185, दिनांक 22.07.2026 के अंतर्गत सहायक ग्रेड-III के पदों पर भर्ती हेतु आयोजित कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तथा विज्ञापन में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अंतिम चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार कर जारी की जाती है। विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित रिक्तियों तथा अंतिम चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का विवरण संलग्न सूचियों में दर्शाया गया है।

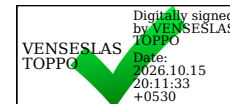
विज्ञापन में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अंतिम चयन सूची कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई है। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के मध्य समान जन्मतिथि की स्थिति में वरीयता निर्धारित करने हेतु विज्ञापन में विहित प्रावधानों का पालन किया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक RULE/955/2026-GAD-3, दिनांक 11.09.2026 के प्रावधानों के अनुसार उक्त रिक्ति को अनारक्षित (खुला) प्रवर्ग में परिवर्तित कर चयन सूची तैयार की गई है।

प्रत्येक प्रवर्ग हेतु विज्ञापन में निर्धारित 1:3 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है।

चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निर्धारित पात्रता, मूल प्रमाण-पत्रों, प्रवर्ग एवं आरक्षण संबंधी दावों के सत्यापन तथा अन्य लागू शर्तों की पूर्ति के अधीन रहेगी। प्रतीक्षा सूची में नाम सम्मिलित होने मात्र से अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। प्रतीक्षा सूची का उपयोग लागू भर्ती नियमों एवं विज्ञापन की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जिनके दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में दिव्यांगता की अवधि अस्थायी दर्शाई गई है, उन्हें सक्षम चिकित्सा मंडल द्वारा जारी ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उनकी दिव्यांगता स्थायी होना प्रमाणित किया गया हो। उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना तथा उसका सत्यापन संबंधित अभ्यर्थी की पात्रता एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के अधीन होगा।



अध्यक्ष

चयन समिति

जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)